

अंचल अधिकारी का कार्यालय, चन्द्रपुरा। (बोकारो)

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1943 का नियम 129)

25

1

आदेश-पत्रक ता० से तक
जिला- बोकारो, वाद संख्या 05 / 2013-2014
कैस का प्रकार- अमीन मापी

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
---------------------------------	--------------------------------	--

21-06-13

आवेदक श्री / श्रीमती राजकुमार झा
पिता/पति मो. रमेश चंद्र झा साकिन हटियारी
थाना- 107 जिला-बोकारो ने आवेदन पत्र देकर निर्मांकित भूमि का
मापी कर सिमांकन कराने का अनुरोध किया है।
भूमि का विवरण:-

मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	रकबा
पिपराडीह	107	47	353 353 404 403	2.50 ए०

हल्का कर्मचारी को आदेश दिया जाता है कि राजस्व कागजातों का
जॉच कर जॉच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करें ताकि अग्रेतर कार्रवाई
किया जा सके।

अंचल अधिकारी,
चन्द्रपुरा।

24-06-13

अभिलेख उपस्थापित। राजस्व कर्मचारी का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त
हुआ है। राजस्व कर्मचारी ने प्रतिवेदित किया है कि वर्णित भूमि मौजा-पिपराडीह
खाना न०-107 खाता न०-47 प्लॉट न० 353 एवं 353 के अंतर्गत 2.50 ए०
की है, जिसमें राजस्व माफी के तहत प्लॉट न० 353 एवं 353 को रकबा 2.40
0.10 ए० 2.50 ए० की है। साथ ही
माफी मापी की अनुशंसा किये हैं।

अतः आवेदक को आदेश दिया जाता है कि कुल 02 (दो)
दिनों का मापी शुल्क अंचल नजारत में जमा करें, तत्पश्चात् सरकारी अमीन को
मापी हेतु आदेश निर्गत किया जाएगा।

अंचल अधिकारी,
चन्द्रपुरा।

05/06/13

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक ने अमीन शुल्क जमा किया है। अतः
दिनांक 05/06/13 को मापी की तिथि निर्धारित की जाती है। आदेश निर्गत
करें। तथा संबंधितों को प्रतिलिपि दें।

अंचल अधिकारी,
चन्द्रपुरा।